भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या–08 / 2018–19

केश का प्रकार :– नामान्तरण अपील

जय कृष्णा पण्डा, पिता–स्व0 हरेकृष्णा पण्डा .... अपीलकर्त्ता

–बनाम–

स्टेट ऑफ झारखण्ड, (अंचल अधिकारी, घाटशिला)..विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	यह नामान्तरण अपील वाद अपीलकर्त्ता जय कृष्णा पण्डा, पिता–स्व0 हरेकृष्णा पण्डा, निवासी ग्राम–स्वर्णरेखा इरीगेशन प्रोजेक्ट कॉलोनी मुसाबनी, ब्लॉक एरिया, थाना–मुसाबनी, जिला–पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा स्टेट ऑफ झारखण्ड (अंचल अधिकारी, घाटशिला) को पक्षकार बनाकर अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या–987R27 / 2017–18, दिनांक–26 / 03 / 2018 को पारित आदेश के विरूद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया हैं। अपील आवेदन पत्र के साथ Condonnation petition U/S-5 of Limititation Act., सत्यापित बिक्रि केवाला की छायाप्रति तथा अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न किया गया है। अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण वाद संख्या– 987R27 / 2017–18 घाटशिला द्वारा नामान्तरण अस्वीकृत की गयी। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या–987R27 / 2017–18 घाटशिला संबंधी अभिलेख प्राप्त हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा Limitation Act की धारा–5 के तहत दायर आवेदन पत्र पर सुनवाई के पश्चात इस वाद की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में अभिलेखबद्ध किया गया हैं। लिखित आवेदन को बतौर लिखित जबाव जाय, इसकी सहमति इनके अधिवक्ता द्वारा दी गई है। अपने आवेदन में इन्होने स्पष्ट किया है कि अंचल अधिकारी घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा वाद सं0– 987R27 / 2017–18 द्वारा घाटशिला अंचल अन्तर्गत थाना सं0–112, खाता सं0–156, प्लॉट सं0–917, रकवा–5.35 डी0 भूमि के नामान्तरण हेतु वाद लाया गया था। श्री जयकृष्णा	

पण्डा, पिता–स्व0 हरेकृष्णा पण्डा द्वारा यह भूमि श्री सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा बिकी केवाला सं0–2347, दिनांक–01.10.2010 के माध्यम से बिकी की गयी एवं तभी से क्रेता दखल में है। हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर बगैर किसी जांच के ही अंचल अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। इस संबंध में बिकी केवाला सं0–2347, दिनांक 01.10.2010 की प्रति भी संलग्न करते हैं।

अंचल अधिकारी घाटशिला के पत्रांक 455, दिनांक 23.06.2018 द्वारा नामान्तरण मुकदमा सं0–987R27 / 2017–18 की प्रति न्यायालय में उपलब्ध करायी गयी है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि मौजा पावड़ा Online पंजी–II पृष्ठ स0–1 / 156 अन्तर्गत मोहिनी सीट, पिता बैकुन्ठ सीट जाति धोबी है एवं वर्तमान केता श्री सुभाष चन्द्र सिंह, पिता स्व0 कमला सारन सिंह जाति कुर्मी है। उक्त दोनों स्तरों पर क्रय–बिकय के दौरान सक्षम प्राधिकार द्वाराक्रय–विकय संबंधी अनुमति प्राप्त नहीं है जो छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46, का पूर्ण उल्लंघन है, अतः नामान्तरण अस्वीकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा उपस्थापित साक्ष्य एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उक्त भूमि के मूल खतियान तथा पंजी–II जो कि अभिलेख में संलग्न के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख भूमि की खरीद–बिकी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का उल्लंघन कर किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात न्यायालय का अभिमत है कि प्रासंगिक नामान्तरण मुकदमा संख्या–987R27 / 2017–18 अंचल अधिकारी, घाटशिला का पारित आदेश सही हैं। अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार मुल अभिलेख अंचल अधिकारी, घाटशिला को वापस भेजें।

विधि व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक–26 / 08 / 2020 को पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

26/08/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।